राज्यपाल सचिवालय
राजभवन,जयपुर

नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के उपायों की जानकारी ली **राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने**

एयरपोर्ट और हर जिले में हो स्क्रीनिंग की मजबूत व्यवस्था

घबरायें नही, सावधानी बरतें, लोगों को जागरूक करें और कोरोना को मात दें

– राज्यपाल

जयपुर, 13 मार्च। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने कहा है कि नोवल कोरोना वायरस को फैलाव से रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इससे घबरायें नही। सावधानी बरतें। हाथ ना मिलायें। नमस्ते करें। राज्यपाल ने कहा कि जुकाम, खांसी की स्थिति में तत्काल राजकीय चिकित्सालय को सूचित करें। श्री मिश्र ने कहा कि ऐसे प्रयास किये जाये कि एक स्थान पर अधिक भीड़ न हो।

राज्यपाल श्री मिश्र ने कहा कि जिस तरीके से राज्य सरकार व मेडिकल टीम द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रभावी व्यवस्था की जा रही है, उसी प्रकार इस कार्य की नियमित रूप से मॉनिटिरिंग की जाने की जरूरत है। राज्यपाल ने कहा कि इस कार्य में प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि यदि सावधानी बरती गई तो निश्चित रूप से राजस्थान कोरोना वायरस को मात दे देगा। राज्यपाल ने निरोग राजस्थान के संकल्प के साथ राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किये जा रहे प्रयासों को प्रभावी रूप से लगातार जारी रखने के लिए कहा है।

राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों में भी कोरोना वायरस से बचाव के उपायों के कार्यक्रम चलाये जायें। आसपास के क्षेत्र के लोगों में जागरूकता लाने के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा प्रयास किये जाये। राज्यपाल ने कहा कि लोगों में जागरूकता लाना ही इस रोग से बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। उन्होंने कहा कि जागरूकता से इस वायरस के विस्तार को रोका जा सकता है। राज्यपाल ने कहा कि एयरपोर्ट और राज्य के प्रत्येक जिले में लोगों की स्क्रीनिंग की मजबूत व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए शिक्षा संस्थानों में अवकाश रखने के साथ परिक्षाओं का संचालन सुचारू रूप से किया जावे।

राज्यपाल श्री मिश्र ने शुक्रवार को यहां राजभवन में कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के उपायों की एक उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा की। इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव श्री डी.बी. गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मेडिकल) श्री रोहित कुमार सिंह, मेडिकल शिक्षा सचिव श्री वैभव गैलारिया, राज्यपाल के सचिव श्री सुबीर कुमार, प्रधान विशेषाधिकारी श्री गोविन्द राम जायसवाल, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राजा बाबू पंवार और सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुधीर भण्डारी, मौजूद थे।

राज्यपाल श्री मिश्र ने कहा कि प्रत्येक जिले में आइसोलेशन वार्ड की पर्याप्त व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाये और मेडिकल स्टाफ को किट उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। राज्यपाल ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर संक्रमण न फैले, इसके लिए सेनेटाइजेशन कराया जावे।

राज्यपाल श्री मिश्र को मुख्य सचिव श्री डी.बी.गुप्ता ने बताया कि राजस्थान में अब तक तीन व्यक्तियों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है जिनमें दो नागरिक विदेशी है। श्री गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में डिजास्टर मैनजमेन्ट एक्ट को प्रभावी रूप से लागू कराया जा रहा है।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव मेडिकल श्री रोहित कुमार सिंह ने बताया कि राजस्थान में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने हेतु समस्त जिलो में कार्यरत आशा सहयोगिनी, एएनएम, जिला ब्लॉक एवं सेक्टर स्तर के समस्त सुपरवाईजरी स्टाफ को कोरोना वायरस के बचाव एवं रोकथाम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके संबंध में दिनांक 11 मार्च को मिशन निदेशक द्वारा आदेश प्रसारित कर दिये गये है। उन्होंने बताया कि राज्य के समस्त राजकीय एवं निजी मेडिकल कॉलेज के तत्वाधान में रेपिड रेसपोन्स टीम का भी गठन कर दिया गया है। यह टीम राज्य सरकार के साथ समन्वय करते हुए कोरोना वायरस के रोकथाम में सहयोग करेंगी। इसी क्रम में साउथ वेस्टर्न कमांड के मेजर जनरल को भी आर्मी एरिया में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु यथोचित व्यवस्था के निर्देश दे दिये गये है।

राज्यपाल को श्री सिंह ने बताया कि महा प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेल्वे को भी इस आशय का पत्र जारी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न मंदिरों के प्रबंधक को भी संक्रमण रोकने हेतु निर्देशित किया गया है। यह भी निर्देशित किया है कि वे मंदिर परिसर के फर्श, रैलिंग, दरवाजे, खिडकियों एवं बैंचेज को एक प्रतिशत सोडियम हाइपर क्लोराईड सॉल्यूशन के माध्यम से भी विसंक्रमित कराया जाना सुनिश्चित करें और मंदिर परिसर में आईईसी के माध्यम से लोगों को जागरूक करे।

बैठक में बताया गया कि दिनांक 11.03.2020 को समस्त राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देशित किया गया है कि वे अग्रिम आदेशों तक सभी राजपत्रित अवकाशों पर कार्यालय में उपस्थित रहेंगे एवं अनुपस्थित रहने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। राज्य के विभिन्न विभाग यथा – राजस्थान राज्य परिवहन निगम, महानिदेशक पुलिस, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग को विभिन्न पत्रों के माध्यम से कोरोना वायरस के विसंक्रमण हेतु समुचित उपाय करने हेतु निर्देशित किया गया है। भारत सरकार द्वारा जारी किये गये कन्टेन्मेन्ट प्लांट को भी राज्य में अक्षरशः लागू किया जा रहा है।

———

डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा ,
सहायक निदेशक, (जनसम्पर्क), राज्यपाल